FORM-I

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector, Chamoli No--- Dated-/2-08-20/>

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.288 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Works Department for Construction of Dewal-Mundoli Motor Road to G.I.C. Mundoli Motor Road in Chamoli district falls within jurisdiction of Mundoli village (s) in Tharali tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.288 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexuretoannexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Asheesh Joshi)

वनीकी

Attachement 1.6 (A)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER District Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the spid purpose.

Place; Mobeshwar

Dated: 10-04-2017

Asheesk Joshi)

Deputy Commissioner-cum-Chairman

District Level Committe

Walley.

Attachement 1.6 (B)

परियोजना का नाम :- देवाल-मुन्दोली मोटर मार्ग से रा०इ०का० मुन्दोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.288 हे0 वन पंचायत, कुल 0.288 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, थराली अनुस्चित जनजाति और परम्परागत बनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, जिस्सी का माराली उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत 0.:228 है। (..... है। आरक्षित वन भूमि, क्रान्य है। सिविल एवं सोयम वन भूमि, क्रीक्ट्रा है। वन पंचायत भूमि, अर्थात ०१२८८ कुल 0::208 है0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील थराली) की दिनांक .. 91/6/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार 1- श्री प्य पद्माम्हे उपजिलाधिकारी 3- श्री उद्य के त्रार जिल्ली सहाव सहाव कि समाज के त्याण अधिका सेन संस्थित बीठडीं है से से पंचायत शह य बलाज विवास बी०डी०सी० क्षेत्र -6- श्रीकर के लावारी हैवी बींगडींग्सींग क्षेत्र के नवायत ग्वालदम 11 उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठिक में स्वागत करते हुए उप

जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया किबगड़ी,गाड़-धुराधारकोट-बांक-पिनाऊ मोटर मार्ग के परियोजना हेतु हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड प्रदान परिक्षेत्र के अन्तर्गत देवाल-मुन्दोली मोटर मार्ग से रा०इ०का० मुन्दोली तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0. 288 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार स्मिति तहसील – थराली जनपद – चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्षारी उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील – थराली जनपद – चमोली

Attachement 1.6 (C)

परियोजना का नाम :— देवाल—मुन्दोली मोटर मार्ग से रा०इ०का० मुन्दोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.288 हे० वन पंचायत, कुल 0.288 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ———— तहसील – थराली, जनपद – चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत देवाल—मुन्दोली मोटर मार्ग से रा०इ०का० मुन्दोली तक मोटर मार्ग हेतु (0.288 हे० वन पंचायत, भूमि) अर्थात कुल 0.288 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव मुहर सहित



ग्राम प्रधान/सरपंच मृहर सहित

Attachement 1.6 (D)

दिनांकको ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायतर्भि

नांक	ग्राम सभा में उपस्थित् वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	Slore 21 m	La sances.
	15-1141)	lasanus.
	45-161).	Madan
-		* / 1
		x = 0
		H

